17/09/25

संख्या– I/331211/25 /XXVIII(3)25/e-file No.- 87893/2025

प्रेषक,

डॉ0 आर0राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–3 देहरादून,दिनांकः 17 सितम्बर, 2025

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025–26 में **1st Instalment of Mother Sanction for Grant-in-aid for Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission** कार्यक्रम के संचालनार्थ **SNA SPARSH Platfarm** के अन्तर्गत अवमुक्त **90% केन्द्रांश के सापेक्ष 10 % राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पुनर्विनियोजन की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त),चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः 5प/07/बजट अनु0–01/24/2025–26/22657 दि0: 23, अगस्त 2025 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1st Instalment of Mother Sanction for Grant-in-aid for Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission कार्यक्रम के संचालनार्थ SNA SPARSH Platfarm भारत सरकार से अवमुक्त 90% केन्द्रांश की धनराशि रू० 2,04,98,00,000/–(रूपया दो अरब चार करोड़ अठानवे लाख मात्र) एवं केन्द्रांश के सापेक्ष Matching 10% State Share के अन्तर्गत राज्यांश की अनुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु संलग्नक बी०एम०–9 (भाग–1) के अनुसार **₹ 1,14,96,000/– (रूपया एक करोड़ चौदह लाख छियानव्वे हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोजित करते हुये अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत प्रथम अनुपरक के माध्यम से संगत मदों में **टोकन मनी के रूप में प्रावधानित धनराशि कुल ₹ 4000/– (रूपया चार हजार मात्र)** को सम्मिलित करते हुये कुल **₹ 1,15,00,000/– (रूपया एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
ii. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
iii. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वी कृति अवश्य प्राप्त की जाय।
iv. SNA SPARSH Platfarm के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
v. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2025 व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांकः 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
vi. जिन मदों से बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उन मदों में इस

वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी0एम0–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

vii. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांकः 31.03.2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

viii. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांकः 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

ix. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84 /XXVII (I)/2016, दिनांकः 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

x. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

xi. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय में अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–9 के कॉलम–07 के नामें डाला जायेगा तथा बी0एम0–9 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

2. यह आदेश शासनादेश संख्या– 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांकः 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित संख्याः I/329048/2025 दिनांकः 09.09.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नः अलाटमेन्ट आई0डी0।

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 17-09-2025
11:52:58

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून को बी0एम0–9 की मूलप्रति सहित द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 17-09-2025
12:22:06

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

I/331211/25

संख्या– /XXVIII(3)25/e-file No.- 87893/2025

प्रेषक,

डॉ0 आर0राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–3 देहरादून,दिनांकः 17 सितम्बर, 2025

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025–26 में **1st Instalment of Mother Sanction for Grant-in-aid for Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission** कार्यक्रम के संचालनार्थ **SNA SPARSH Platfarm** के अन्तर्गत अवमुक्त **90% केन्द्रांश के सापेक्ष 10 % राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पुनर्विनियोजन की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त),चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः 5प/07/बजट अनु0–01/24/2025–26/22657 दि0: 23, अगस्त 2025 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1st Instalment of Mother Sanction for Grant-in-aid for Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission कार्यक्रम के संचालनार्थ SNA SPARSH Platfarm भारत सरकार से अवमुक्त 90% केन्द्रांश की धनराशि रू० 2,04,98,00,000/–(रूपया दो अरब चार करोड़ अठानवे लाख मात्र) एवं केन्द्रांश के सापेक्ष Matching 10% State Share के अन्तर्गत राज्यांश की अनुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु संलग्नक बी०एम०–9 (भाग–1) के अनुसार **₹ 1,14,96,000/– (रूपया एक करोड़ चौदह लाख छियानव्वे हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोजित करते हुये अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत प्रथम अनुपरक के माध्यम से संगत मदों में **टोकन मनी के रूप में प्रावधानित धनराशि कुल ₹ 4000/– (रूपया चार हजार मात्र)** को सम्मिलित करते हुये कुल **₹ 1,15,00,000/– (रूपया एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
ii. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
iii. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वी कृति अवश्य प्राप्त की जाय।
iv. SNA SPARSH Platfarm के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
v. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2025 व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक: 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
vi. जिन मदों से बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उन मदों में इस

वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी0एम0–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

vii. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांकः 31.03.2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

viii. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांकः 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

ix. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84 /XXVII (I)/2016, दिनांकः 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

x. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

xi. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय में अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–9 के कॉलम–07 के नामें डाला जायेगा तथा बी0एम0–9 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

2. यह आदेश शासनादेश संख्या– 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांकः 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित संख्याः I/329048/2025 दिनांकः 09.09.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नः अलाटमेन्ट आई0डी0।

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 17-09-2025
11:52:58

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून को बी0एम0–9 की मूलप्रति सहित द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 17-09-2025
12:22:06

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

I/331211/25
संख्या— /XXVIII(3)25/e-file No.- 87893/2025

प्रेषक,

डॉ0 आर0राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0—3 देहरादून,दिनांकः 17 सितम्बर, 2025

विषयः—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025—26 में **1st Instalment of Mother Sanction for Grant-in-aid for Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission** कार्यक्रम के संचालनार्थ **SNA SPARSH Platfarm** के अन्तर्गत अवमुक्त **90% केन्द्रांश के सापेक्ष 10 % राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पुनर्विनियोजन की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त),चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः 5प/07/बजट अनु0—01/24/2025—26/22657 दि0: 23, अगस्त 2025 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 में 1st Instalment of Mother Sanction for Grant-in-aid for Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission कार्यक्रम के संचालनार्थ SNA SPARSH Platfarm भारत सरकार से अवमुक्त 90% केन्द्रांश की धनराशि रू० 2,04,98,00,000/—(रूपया दो अरब चार करोड़ अठानवे लाख मात्र) एवं केन्द्रांश के सापेक्ष Matching 10% State Share के अन्तर्गत राज्यांश की अनुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु संलग्नक बी०एम०—9 (भाग—1) के अनुसार **₹ 1,14,96,000/— (रूपया एक करोड़ चौदह लाख छियानव्वे हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोजित करते हुये अनुदान संख्या—31 के अन्तर्गत प्रथम अनुपरक के माध्यम से संगत मदों में **टोकन मनी के रूप में प्रावधानित धनराशि कुल ₹ 4000/— (रूपया चार हजार मात्र)** को सम्मिलित करते हुये कुल **₹ 1,15,00,000/— (रूपया एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

i. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
ii. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
iii. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।
iv. SNA SPARSH Platfarm के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के समस्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
v. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2025 व वित्त विभाग के शासनादेश सं0—193/XXVII(1)/2012 दिनांकः 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
vi. जिन मदों से बी0एम0—09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उन मदों में इस

वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी0एम0–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

vii. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांकः 31.03.2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

viii. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांकः 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

ix. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84 /XXVII (1)/2016, दिनांकः 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

x. पुनिर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

xi. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय में अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–9 के कॉलम–07 के नामें डाला जायेगा तथा बी0एम0–9 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

2. यह आदेश शासनादेश संख्या– 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांकः 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित संख्याः I/329048/2025 दिनांकः 09.09.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नः अलाटमेन्ट आई0डी0।

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 17-09-2025
11:52:58

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून को बी0एम0–9 की मूलप्रति सहित द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 17-09-2025
12:22:06

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।